



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 3, 2019 (AGRAHAYANA 12, 1941 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA

श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा

दिनांक 19 नवम्बर, 2019

श्रमिकों की अवितरित राशि का नोटिस

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत

संख्या एच.एल.डब्ल्यू.बी./6744- हरियाणा राज्य में संस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला के पास कर्मचारियों की अवितरित मासिक वेजिज/वेतन/अधिक समय का वेतन/बोनस/ग्रेच्यूटी आदि की राशि समय-समय पर प्राप्त हुई है और इन्हें देय है, का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	जिस समय से राशि संबंधित है	प्रकाशन जितनी बार पहले हो चुका है	राशि रु० पैसे
1	1.10.17 से 30.9.18	एक बार	36902714.36
2	1.10.18 से 30.9.19	—	30932737.98

संबंधित कर्मचारी अपना पूरा विवरण देकर बोर्ड को अपना कलेम एक वर्ष के अन्दर-अन्दर भेज सकते हैं। उपरोक्त समय की समाप्ति उपरांत क्रम संख्या 1 पर वर्णित राशि को 'त्यागी हुई संपत्ति' घोषित कर दिया जाएगा और बोर्ड को इस राशि को पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 10 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के कामगारों की भलाई करने के लिए खर्च करने का पूरा अधिकार होगा। संबंधित व्यक्ति अपने नामों को कल्याण आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय या संबंधित संस्था से देख सकते हैं।

नितिन कुमार यादव,
कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
बेज नं० 29-30, सैक्टर-4, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA

श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा

The 19th November, 2019

Notice of Unpaid Amount of Workers**(As per section 9 (3) (b) of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965)**

No. HLWB/6744.— Notice is hereby given to the employees through their establishments in the State of Haryana to the fact that the amount of unpaid accumulations on account of monthly wages/ salary/ overtime/ bonus/gratuity etc. due to the employees during their service have been received by the Haryana Labour Welfare Board, Panchkula through their establishments from time to time as per details given below:-

Sr. No.	Period to which amount received	Amount
1	1-10-17 to 30-9-18	36902714.36
2	1-10-18 to 30-9-19	30932737.98

The concerned employees may claim their dues from the Board giving full particulars within one year. After completion of above period the amount mentioned at Sr. No. 1 will be declared as 'Abandoned Property' and the Board shall have full right to utilize the amount in accordance with the provision of section 10 of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 for the welfare activities of workers in the State of Haryana. The affected employees in the State of Haryana can verify their names in the office of Welfare Commissioner, Haryana, Panchkula or from the concerned managements.

NITIN KUMAR YADAV,
Welfare Commissioner, Haryana,
Bays No. 29-30, Sector-4, Panchkula.

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा राज

LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA

किरत कलियाण बोर्ड हरियाणा

नोटिस

मिती 19 नवंबर, 2019

नं. अच.अल.डब्ल्यू.बी./6744.— हरियाणा राज के पंथक दुआरा उदयोगिक किरतीआं नुं इस नोटिस दुआरा सूचित कीता जांदा है कि हरियाणा किरत कलियाण बोर्ड पंचकुला के पास किरतीआं के अवितरित मासिक वेतन जियादा सभे दा वेतन बोनस गरैचुटी आदि दी रासी पंथकं तें सभे सभे तें पूपत होई है जिस दा विवरन हेठं दिता होइआ है।

लडी नं.	रासी दी अदाएगी दा सभं	रासी
1	1-10-17 तें 30-9-18	36902714.36
2	1-10-18 तें 30-9-19	30932737.98

संघपित उदयोगिक किरती आपणा पूरन विवरन दिंदे होदे एक साल के अंदर अंदर बोर्ड नुं आपणा कलेम भेज सकदे हन। उपरोक्त सभे दी समापती के बाअद लडी नं. 1 उते दरसाई गਈ रासी नुं अर्बंडं षसित कर दिता जावेगा। इस रासी नुं पंजाब लेबर वेलफेअर फंड ऐक्ट 1965 दी धारा 10 के अपीन हरियाणा राज के उदयोगिक किरतीआं दी भलाई लई खरच करन दा पूरा अपिकार होवेगा। संघपित विअकती आपणे नाम किरत कलियाण बोर्ड पंचकुला के दफतर जां संघपित अदारे तें देख सकदे हन।

नितिन कुमार यादव,
वैलफेअर कमिशनर, हरियाणा,
बेज नं. 29-30, सैक्टर-4, पंचकुला।